

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2020—आषाढ़ 19, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मई 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. (2014), महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 मई 2019

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2020 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2020.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा दिनांक 24 अगस्त, 2020 से दिनांक 29 अगस्त, 2020, तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-08-2020

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).		
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).		
4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).		
5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
59. विद्युत संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		
सोमवार, दिनांक 24-08-2020		
6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		
60. भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).		

मंगलवार, दिनांक 25-08-2020

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
मंगलवार, दिनांक 25-08-2020		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

बुधवार, दिनांक 26-08-2020

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस अधिकारियों के लिए.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
बुधवार, दिनांक 26-08-2020		
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) के पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया उर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

गुरुवार, दिनांक 27-08-2020

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित), नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 27-08-2020		
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 28-08-2020		
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
शनिवार, दिनांक 29-08-2020		
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.
3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें। संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 25-07-2020 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री प्रदीप गुप्ता, भा.पु.से. (1995), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त, अस्थाई रूप से, संचालक, लोक अभियोजन के पद पर पदस्थ करते हुए, संचालक, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

पशुधन विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 जून 2020

क्रमांक 593/एफ 8-25/35/2019.—माता महामारी इकाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2019-35-00830 द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार, विभागीय आदेश दिनांक 14-02-2020 द्वारा विभाग के रिक्त पदों में समायोजित कर पदस्थ किया गया है।

अतः राज्य शासन एतद्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1, खण्ड IV, स.क्र. 45 अनुसार वित्त विभाग को सूचित करते हुये प्रशासकीय विभाग को प्रत्यायोजित अधिकार के तहत माता महामारी इकाई अंतर्गत स्वीकृत 114 पदों को समाप्त किया जाता है, जिसका विवरण संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. पी. दुपारे, उप सचिव.

मातामहामारी इकाई के 114 पद जिन्हें समाप्त किया जाना प्रस्तावित है -

क्र.	जिला	वर्तमान संचालित योजना स्थान	बंटन शीर्ष	संवर्ग	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	
								वेतनमान मेट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	माता महामारी योजना रायपुर	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनस्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र	राज्य	प्रथम	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवार्थे	1	13	67300-213100
2	रायपुर		3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	1	6	25300-80500
3	रायपुर			संभागीय	तृतीय (लिप.)	सहायक ग्रेड-1	1	7	28700-91300
4	रायपुर			संभागीय	तृतीय (लिप.)	सहायक ग्रेड-2	2	8	25300-80500
5	रायपुर			संभागीय	तृतीय (लिप.)	सहायक ग्रेड-3	3	4	19500-62000
6	रायपुर					वाहन चालक	4	4	19500-62000
7	रायपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	भृत्य	1	1	15600-49400
8	रायपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
9	रायपुर			जिला	चतुर्थ (आ.निय.)	स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार	2	1	15600-49400
10	रायपुर	माता महामारी उन्मूलन इकाई रायपुर	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनस्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
11	रायपुर		3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	7	6	25300-80500
12	रायपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
13	रायपुर	सघन टीकाकरण दल रायपुर जिला रायपुर		राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
14	रायपुर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
15	रायपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	3	1	15600-49400

क्र.	जिला	वर्तमान संचालित योजना स्थान	बंटन शीर्ष	संवर्ग	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	
								वेतनमान मेट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	राजनांदगांव	माता महामारी उन्मूलन इकाई राजनांदगांव	मांग संख्या-14-2403- पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
17	राजनांदगांव			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	7	6	25300-80500
18	राजनांदगांव			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
19	राजनांदगांव	पशु जांच चौकी बोरतलाब		राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
20	राजनांदगांव			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
21	राजनांदगांव			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
22	राजनांदगांव	पशु जांच चौकी चिचोला	मांग संख्या-14-2403- पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
23				राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
24	राजनांदगांव			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
25	बिलासपुर	माता महामारी योजना बिलासपुर	मांग संख्या-14-2403- पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
26	बिलासपुर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अति.	1	6	25300-80500
27	बिलासपुर			संभागीय	तृतीय (लिप.)	सहायक ग्रेड-2	1	6	25300-80500
28	बिलासपुर			संभागीय	तृतीय (लिप.)	सहायक ग्रेड-3	2	4	19500-62000
29	बिलासपुर			राज्य	तृतीय (अलिप.)	वाहन चालक	2	4	19500-62000
30	बिलासपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	भृत्य	1	1	15600-49400
31	बिलासपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
32	बिलासपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार	2	1	15600-49400

क्र.	जिला	वर्तमान संचालित योजना स्थान	बंटन शीर्ष	सर्वग	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	
								वेतनमान भेट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	बिलासपुर	पशु जांच चौकी कोटा	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेतर)	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
34	बिलासपुर		101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र	राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
35	बिलासपुर		3786-रोगाणुज्ञ. केन्द्र प्रवर्तित योजना	जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
36	बिलासपुर	पशु जांच चौकी घमनी		राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
37	बिलासपुर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
38	बिलासपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
39	रायगढ़	माता महामारी उन्मूलन इकाई रायगढ़	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेतर)	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
40	रायगढ़		101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र	राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	7	6	25300-80500
41	रायगढ़		3786-रोगाणुज्ञ. केन्द्र प्रवर्तित योजना	जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
42	सरगुजा	माता महामारी उन्मूलन इकाई अंबिकापुर	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेतर)	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
43	सरगुजा		101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र	राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	7	6	25300-80500
44	सरगुजा		3786-रोगाणुज्ञ. केन्द्र प्रवर्तित योजना	जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400

क्र.	जिला	वर्तमान संचालित योजना स्थान	बंटन शीर्ष	संवर्ग	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	
								वेतनमान मेट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	बलरामपुर	पशु जांच चौकी बस्तपुर	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
46	बलरामपुर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
47	बलरामपुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
48	बस्तर	माता महामारी उन्मूलन इकाई जगदलपुर	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
49	बस्तर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	7	6	25300-80500
50	बस्तर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
51	बस्तर	पशु जांच चौकी धनगुंजी		राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
52	बस्तर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
53	बस्तर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
54	बीजापुर	पशु जांच चौकी भोपालपटनम	मांग संख्या-14-2403-पशुपालन (आयोजनेत्तर) 101-पशु चिकि./पशु स्वास्थ्य केन्द्र 3786-रोगाणुज. केन्द्र प्रवर्तित योजना	राज्य	द्वितीय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1	12	56100-177500
55	बीजापुर			राज्य	तृतीय (का.पा.)	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3	6	25300-80500
56	बीजापुर			जिला	चतुर्थ (निय.)	परिचारक	1	1	15600-49400
						कुल	114		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 19 मई 2020

क्रमांक/72/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदा बाजार भाटापारा	भाटापारा	पेण्डरी प.ह.नं. 01	0.700	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार (छ.ग.).	खोखली - ढाबाडीह - पेण्डरी - देवरी मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक/1872/वा./भू.अ./प्र.क्र./14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	
(ख) तहसील-नरहरपुर	
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हानखार	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
641/6	0.31
योग	
01	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टुरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक/1873/वा./भू.अ./प्र.क्र./25/अ-82/2016-17.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनेसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर
(1)

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

269	0.27
268	0.14
378/1	0.02
378/3	0.02
402	0.17
397	0.08
379	0.02
399/1	0.02
399/6	0.01
399/2	0.02
399/7	0.01
399/3	0.04
399/8	0.01
399/4	0.04

(1) (2)

399/5	0.03
399/10	0.01
404	0.03
399/9	0.01
378/2	0.02
376	0.06
375	0.06
372	0.05
370	0.13
373/3	0.05
663	0.04
664	0.12
665	0.06
666/3	0.06
666/1	0.16
667/1	0.06
677/2	0.05
667/3	0.05
671	0.34
682	0.14
670	0.07
683	0.13

योग 36 2.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक/1874/वा./भू.अ./प्र.क्र./15/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-नरहरपुर
(ग) नगर/ग्राम-देवरीबालाजी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
641/6	0.04
649/2	0.05
647/1	0.06
647/2	0.01
650	0.12
655	0.07
656	0.06
658	0.05
659	0.08
660	0.08
649/1	0.01
1283/2	0.08
1285/1	0.02
1285/2	0.02
1290/1	0.06
1250	0.02
1237	0.04
योग	17 0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 08 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक/1875/वा./भू.अ./प्र.क्र./17/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-नरहरपुर
(ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/2	0.15
388	0.20
360	0.09
357	0.06
355	0.04
352	0.04
653	0.14
349	0.06
334	0.17
333	0.06
833	0.03
827	0.04
443	0.07
448	0.25
450	0.01
451	0.04
452	0.04
453	0.07
424/1	0.06
425	0.05
666	0.05
413	0.06
672	0.03
667	0.04
383	0.06
665/4	0.06
835	0.05
832	0.01
829	0.04
825	0.01
834	0.09
831	0.02
828	0.04
826	0.06
830	0.04

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
821	0.01	(1)	(2)
योग	36	2.34	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुधावा दायी तट नहर निर्माण के लघु नहर क्रमांक 10 के निर्माण हेतु.		784	0.30
		775/1	0.14
		773	0.05
		742	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.		772/1	0.02
		772/2	0.03
		743	0.12
कांकेर, दिनांक 27 मई 2020		765	0.10
		766	0.05
क्रमांक/1876/वा./भू.अ./प्र.क्र./13/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		767	0.04
		744/2	0.04
		योग	11
			0.90
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दबेना तालाब क्रमांक 02 के निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (ख) तहसील-नरहरपुर (ग) नगर/ग्राम-दबेना (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2020

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/171/स्थापना/रा.मं./2020.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 04-06-2020 respectively made over and received charge of the office of the Secretary, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E 1-02-/2020/एक-2 Raipur dated 26-05-2020 and that the officer receiving charge travelled during joining time on AM/PM (Mention dates)

हस्ता./—
अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 4-06/2018/30/सं.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 जून 2020

विषय :- ख्यातिप्राप्त अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुमोदन पश्चात् कार्यवाही कराने बाबत.

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-06/2018/30/सं. दिनांक 12-03-2020 की प्रतिमय कार्यवाही विवरण, जिसमें मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजनान्तर्गत सरल क्रमांक 01 से 15 एवं 01 से 18 तक की सूची में अंकित नामों को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु समिति द्वारा अनुशंसा के आधार कार्यवाही विवरण की हिन्दी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित.

एमरेंसिया खेस्स,
उप सचिव

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यवाही विवरण

क्रमांक/सं.पु./संस्कृति/मा.वि.सहा. (पेंशन)/19.—आज दिनांक 30-01-2019 को अपरान्ह 12.30 बजे ख्यातिप्राप्त अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजनान्तर्गत मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक सचिव/संचालक, संस्कृति तथा समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्य/विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए :—

1. सचिव, संस्कृति (अध्यक्ष)
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (सदस्य)
3. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, (सदस्य/सचिव)
4. डॉ. जे. आर. सोनी, साहित्यकार, बिलासपुर (सदस्य)
5. श्री आशीष सिंह, साहित्यकार, रायपुर (सदस्य)

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

ख्यातिप्राप्त अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजनान्तर्गत सरल क्रमांक 01 से 33 तक की संलग्न सूची में अंकित नाम के सम्मुख दर्शायी गई स्वीकृति संबंधित कलाकारों/साहित्यकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) वर्ष 2020-21 के लिए समिति द्वारा अनुशंसा की गई है :—

वर्तमान में पेंशन हेतु कलाकारों/साहित्यकारों के आय की अधिकतम सीमा 24000/- मात्र है, जिसके अंतर्गत जूरी द्वारा मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) हेतु निम्न सूची अनुसार कुल 15 हितग्राहियों को प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है.

क्र. (1)	नाम व पता (2)	कलाकारों/साहित्यकारों (3)	समिति द्वारा अनुशंसा (4)
1.	श्री गौतम लाल वर्मा निवासी हाऊस नं. वार्ड नं. 01, ग्राम सिंगपुर पो. रेंगाकटेरा, तह. व जिला राजनांदगांव.	गायन वादन रामायण व्याख्याकार	स्वीकृत
2.	श्री भूषण नेताम लखौली राजीव नगर वार्ड क्र. 31, राजनांदगांव.	लोक संगीतज्ञ बैजो वादक	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती फूल बाई साहू पति स्व. बाबू लाल साहू, एच.एन. 106, डुमरडीह, खुर्द, पो. खौरझीटी, राजनांदगांव.	पेंशनग्राहिता स्व. बाबू लाल साहू की विधवा	स्वीकृत
4.	श्री नरेन्द्र कुमार बंछोर ग्राम कंचान्दुर, पो.आ. करंजा भिलाई (जामुल) जिला-दुर्ग.	संगीत वादन व गायन	स्वीकृत
5.	गोवर्धन प्रसाद यादव ग्राम करेली (पुरदा), ग्रा. करेली, पो. आ. नवागांव, तह. धमधा जिला-दुर्ग.	अभिनय गायन वादन	स्वीकृत
6.	श्री ललीत राम पटेल ग्राम मोहरेंगा, तह. मगरलोड, जिला धमतरी	साहित्यकार	स्वीकृत
7.	श्री सैन कुमार मंडावी ग्राम भानपुरी, पो. देमार थाना अर्जुनी, तह. व जिला- धमतरी.	लोक कलाकार	स्वीकृत
8.	श्री दुर्योधन साहू पिता स्व. चतरू साहू, मोवा, नहरपारा, कांपा, रायपुर	लोक नृत्य नाचा	स्वीकृत
9.	श्रीमती उषा सतपथी पति स्व. विजयशंकर सतपथी, रामनवापारा, ग्राम. बड़े हल्दी, तह. पुसैर, जिला रायगढ़.	पेंशनग्राहिता स्व. विजयशंकर सतपथी की पत्नि	स्वीकृत
10.	श्री बाबूलाल बघेल ग्राम पोटातार पो. करंजी, वि.ख. तोकापाल, जिला- बस्तर.	लोक कलाकार	स्वीकृत
11.	श्री श्यामलाल ध्रुव, पिता श्री समारू राम ध्रुव, ग्राम खट्टी, वि.ख. छुरा, जिला गरियाबंद.	कलाकार	स्वीकृत
12.	श्रीमती रमौती बाई मानिकपुरी पति स्व. फकीर दास मानिकपुरी, ग्राम फुलझर घटारानी, वि.ख. छुरा, जिला गरियाबंद.	रामधुनी/जसगीत/ सुआ गीत गायन	स्वीकृत
13.	श्री दौलतराम यादव पिता श्री अघनूराम यादव, ग्राम तौरेंगा पांडुका, वि.ख. छुरा, जिला गरियाबंद.	लोक कलाकार	स्वीकृत
14.	श्री धनजी साहू पिता श्री पहारू राम साहू, ग्राम-फूलझर पो. बेलर बोड़की, वि.ख. फिंगेश्वर, गरियाबंद.	लोक नृत्य	स्वीकृत
15.	श्री बुधारू राम यादव पिता श्री नेमूराम यादव, ग्राम खट्टी, वि.ख. छुरा, जिला-गरियाबंद.	कलाकार	स्वीकृत

शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निम्न सूची में अंकित जूरी द्वारा चयनित शेष 18 हितग्राही कलाकारों/साहित्यकारों जिनकी आय की अधिकतम सीमा 48000/- मात्र के अंतर्गत है को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) की पात्रता होगी.

क्र. (1)	नाम व पता (2)	कलाकारों/साहित्यकारों (3)	समिति द्वारा अनुशंसा (4)
1.	श्री आत्माराम कोशा “अमात्य” अशोक राईस मिल रोड लखोली नाका वार्ड 35, सेठी नगर जिला राजनांदगांव.	साहित्यकार	स्वीकृत
2.	श्री चैतराम डेहरिया निवासी मकान नं.-1256 वार्ड नं.-43, सरकारी कुआं चौक लखोली, जिला-राजनांदगांव.	तबला वादक जसगीत गायक	स्वीकृत
3.	श्री भरतलाल टंडन निवासी ग्राम व पो. सुरगी, तहसील व जिला-राजनांदगांव	सतनाम पंथ पर प्रवचन सतनाम चौक मंगल भजन	स्वीकृत
4.	श्रीमती गंगाबाई साहू पति स्व. श्री गेंदलाल साहू, वार्ड नं. 33, कन्हारपुरी मकान नं. 303, तिनसिया चौक, जिला-राजनांदगांव	पेंशनग्राहिता स्व. श्री गेंदलाल साहू, कलाकार की पत्नि	स्वीकृत
5.	श्री भरत लाल हरिन्द्र मकान नं. 45 वार्ड 03 ग्राम व पोस्ट रामपुर, तह. छुईखदान जिला राजनांदगांव.	लोक गायक	स्वीकृत
6.	श्रीमती गया बाई साहू पति स्व. श्री जयजयराम साहू ग्राम धीरी पो. सोमनी, एव एन 157 वार्ड 12 जिला राजनांदगांव.	पेंशनग्राहिता स्व. श्री जयजयराम साहू की विधवा	स्वीकृत
7.	श्री सेवाराम साहू आ. लखनलाल साहू लक्ष्मीपारा जामुल वार्ड क्र. 3, पो.ए.सी.सी जामुल जिला दुर्ग.	अभिनय लेखन संगीतकार	स्वीकृत
8.	श्री मोतीलाल देवांगन शिवपुरी वार्ड क्र. 16, पोस्ट ए.सी.सी. जामुल, दुर्ग.	संगीत गायन (तबला में विशेष)	स्वीकृत
9.	श्री रामजी ठाकुर ग्राम जामुल लक्ष्मीपारा वार्ड नं. 03, पो.आ.ए. सी.सी. जामुल, जिला दुर्ग.	लोक गायक संगीत वादन व गायन	स्वीकृत
10.	श्रीमती हीराबाई बंधे, पति स्व. पंचराम बंधे, कातुलबोर्ड, वार्ड नं. 59, जिला दुर्ग.	पेंशनग्राहिता स्व. पंचराम बंधे की विधवा	स्वीकृत
11.	श्रीमती शांति देवी साहू पति स्व. श्री संतराम साहू पुराना बस स्टैण्ड वार्ड नं. 13, भिलाई, जिला दुर्ग.	हारमोनियम	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	श्री पुनीत गुरुवंश श्री गोपी आशिष काम्पलेक्स शंकर पारा सिरसिदा पो. खम्हरिया, तह. नगरी, धमतरी.	साहित्यकार	स्वीकृत
13.	श्रीमती कुमारी बाई चौबे, पति स्व. श्री सजीवन प्रसाद चौबे ग्राम बबई पो. रक्से., वि.खं. सहानपुर लोहारा, कबीरधाम.	पेंशनग्राहिता स्व. श्री सजीवन प्रसाद चौबे की पत्नी	स्वीकृत
14.	श्री रामाधार साहू ग्राम. कचान्दुर (गुण्डरदेही), जिला बालोद (छ.ग.)	चंदैनी गायन संस्था सोनसागर चंदैनी	स्वीकृत
15.	श्रीमती राबिया बाई पति स्व. निजामुद्दीन तिगाला ग्राम लाटाबोड़ जिला- बालोद.	पेंशनग्राहिता स्व. निजामुद्दीन तिगाला की पत्नी	स्वीकृत
16.	श्री महादास जोशी पिता श्री धिरऊ राम जोशी, ग्राम-रायपुरा, पोस्ट-सम्बलपुर, विकासखण्ड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद.	चित्रकार, मूर्तिकार, समाजसेवी	स्वीकृत
17.	श्री पंचराम यादव पिता स्व. श्री बुद्धराम यादव, ग्राम व पो.-सिरी, थाना-रनचिरई, जिला-बालोद.	नाचा के लोक कलाकार	स्वीकृत
18.	श्री गेंदलाल महिलांगे, ग्राम कठीया नं. 01 पो. कठीया वि.ख. तिल्दा, जिला रायपुर.	लोक कलाकार	स्वीकृत

उपरोक्तानुसार ख्यातिप्राप्त अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरल क्रमांक 01 से 33 तक की सूची में अंकित नाम के सम्मुख दर्शायी गई स्वीकृत संबंधित कलाकारों/साहित्यकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) दिये जाने हेतु मांग संख्या 26 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन (285) अर्थाभावग्रस्त ख्यातिप्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता, 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान, आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

सचिव, संस्कृति (अध्यक्ष) — हस्ता./-

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, (सदस्य) — हस्ता./-

संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, (सदस्य/सचिव) — हस्ता./-

डॉ. जे. आर. सोनी, साहित्यकार, बिलासपुर (सदस्य) — हस्ता./-

श्री आशीष सिंह, साहित्यकार, रायपुर (सदस्य) — हस्ता./-

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur the 11th June 2020

No. 5294/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate

Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Soni Tiwari, J.M.S.C.,	Mahasamund	Mahasamund
2.	Ku. Ankita Tigga, J.M.S.C.,	Balrampur	Balrampur-Ramanujganj

Bilaspur the 11th June 2020

No. 5296/Checker/III-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Ku. Geeta Brij, J.M.F.C., Mahasamund to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.
